BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 3, Issue 2, April-June, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण

शक्ति सिंह (शोधार्थी)
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
श्रीगुरु रामराय विश्वविद्यालय, देहरादून

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जिसने पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हमेशा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा होती है, जिसमें राजनीति, सामाजिक आंदोलन सम्मिलित है, लेकिन इसका क्या अर्थ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? इस शोधपत्र में हम ऐसे कुछ विषयों पर विचार करेंगे। यह अध्ययन भारत में सशक्तिरण का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

सशक्किरण का अर्थ सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है, जो महिलाओं को सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। महिला सशक्तिकरण संसाधनों के लिए महिलाओं की क्षमता का विस्तार करने और रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने का महत्वपूर्ण साधन है, यह अध्ययन द्वितीय स्रोतों पर आधारित है।

महिला सशक्तिरण का अर्थः

महिला सशक्रिण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाएं समाज की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा, जब महिलाओं को पुरूषों के साथ प्रगति में समान भागीदार माना जाएगा।

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने का एक माध्यम हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों महिलाओं के लिए अवसर और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता और चेतना उत्पन्न करता है, सामूहिक रूप से एक समूह का आयोजन भी करता है।

क्षमता निर्माण और कौशल विकास, योजना बनाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवस्थित करने की क्षमता, प्रबंधन करने की क्षमता, गतिविधियों को करने की क्षमता अपने आस–पास की दुनिया में लोगों संस्थानों से निपटने की क्षमता, घर पर समुदाय में और समाज में निर्णय लेने में भागीदारी और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण उत्पादकता के साधनों पर और अधिक वितरण सशक्तिरण है।[1]

महिलाओं की स्थिति,

प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरूआत की। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। परन्तु पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांध के प्रयास से मिला। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरूआत की। अमरीका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पहले वहां महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक वकील बेल्ला अब्जुग के प्रयास से 26 अगस्त 1971 से महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।[2]

भारत में महिलाओं की स्थिति–

@2025 Bihar Shodh Samaagam

भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता के पश्चात् से ही मतदान का अधिकार पुरूषों के समान दिया। परन्तु वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। परन्तु इसके पश्चात् वे महिलाएं हमें दिखाई देती है जो सभी प्रकार के भेदभाव के पश्चात् भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम कर चुकी है। आज भी हम उन पर गर्व महसूस करते है। वैसे तो सभी महिलाएं राष्ट्र विकास में अपनी–अपनी भूमिका निभा रही है, कोई अपना परिवार देख रही है, कोई समाज तो कोई राष्ट्र। जहां देश में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी है।[3]

दिल्ली की सत्ता पर शीला दीक्षित, तमिलनाड में अन्ना द्रुमुक अध्यक्ष जय ललिता और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राज्य की बागडोर संभाली है। ऐसे बहुत महिला राजनेता रही है जिन्होंने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कार्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में इंदिरा नूई और चंदा कोचर जैसी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी है बल्कि इस रोशनी की लौ भी है।

अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। सन् 2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए सुलभ बनाने के लिए भारत सतत् विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत् विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं में नेतृत्व गुण समाज के लिए सम्पत्ति है। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिहाम यंग के अनुसार– जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।[4]

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से ही महिलाओं का विकास हमारी योजनाओं का प्रमुख विषय रहा है, किन्तु पिछले दो दशकों से कई नीतिगत परिवर्तन आए है, 1970 के दशक में यहां महिला–कल्याण की अवधारणा अपनायी गई है। वहीं 1980 के दशक में महिला विकास पर बल दिया गया। 1990 के दशक में महिला निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित हो और नीति निर्माण में भी उनकी सहभागिता हो। इस सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने से लिया गया। जो स्वावलम्बी होकर पुरूषों के समान राष्ट्र निर्माया में अपनी सहभागता दे। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को 73वें एवं 74वे संवैधानिक संशोधन द्वारा एक–तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया गया।[5]

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में महिलाओं को एक–तिहाई स्थान देने के का उद्देश्य यह है कि उन्हें पिछले पंक्तियों से उठाकर सामने लाया जाए और स्थानीय निकायों में स्थान दिया जाए जो स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन एवं समुदाय पर शासन करते हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।[6]

पंचायत राजव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भातीय इतिहास में एक नया आयाम है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् समाज के स्तर में बहुत परिवर्तन आया है।, समाज के दृष्टिकारेण में जो बदलाव आया है, उसका प्रमाण इसी से मिलता है कि लगभग 3,30,000 महिलाएं आज राजनीति में प्रवेश कर चुकी है। राजनीति में महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में आना इस बात को गलत प्रमाणित करता है कि महिलाएं कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी।[7]

निष्कर्ष–सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया में महिलाओं के विकास में एक नया आयाम जुड़ा है और वे सामाजिक एवं आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गई हैं, यदि हम महिलाओं के विकास के दीर्घकालिक उद्देश्य की दृष्टि से इन संशोधन

को परखें तो यह हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के मजबूत हथियार के रूप में दिखाई देगा। महिलाओ ंको इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

महिला सशक्किरण और राष्ट्र निर्माण के बीच गहरा संबंध है। जब महिलाएं सशक्त होती है तो वो परिवार समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वूपर्ण भूमिका निभाती है। यह सशक्तिकरण कई माध्यमों जैसे शिक्षा और जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक परिवर्तन, से महिलाओं में समानता और न्याय की भावना को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

सन्दर्भ सूची

1–शर्मा, डॉ० शीतल, ''भारत में महिला सशक्तिरण एवं योजनाएंः एक अध्ययन''IJSRST,Volume 3,Issue7,ISSN 2395-6011, Themed Section, Education 2017.

2–द्विवेदी,डॉ०राधेश्याम ' महिला समानता दिवसः 26 अगस्त,Web.archive.org. Posted on august 25,2016.

3–तदैव

4–haryanarajbhavan.gov,4.07 pm,11/1/2025.

5–**73वां, 74 वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान**

6– विद्युत महंति, महिलाएं एवं राजनीतिक सशक्तिकरण, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

7– समाज कल्याणः पंचायती राज और महिलाएं फरवरी 2006 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड